

## प्रेस नोट दिनांक – 20/09/2022

### थाना नकुड़, सहारनपुर पुलिस द्वारा मात्र 5 घंटे में किया गया पिरवा हत्याकांड का खुलासा, घटना को अंजाम देने वाला हत्यारोपी पोता सोनू गिरफ्तार, कब्जे से आलाकत्ल रस्सी व मृतक का कुर्ता बरामद:-

अवगत कराना है कि दिनांक 19.09.2022 को ग्राम सढौली के रहने वाले पिरवा पुत्र हरिद्वारी की उसके पोते सोनू पुत्र चन्द्रपाल ने पैसे के लेनदेन को लेकर रस्सी से गला घोटकर हत्या कर दी थी। जिसके सम्बन्ध में वादी पारस पुत्र पप्पू निवासी ग्राम सिढौली थाना नकुड़, सहारनपुर की लिखित तहरीर के आधार पर थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 358/22 धारा 302 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल सज्ञान लेते हुए अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु थाना प्रभारी नकुड़ को निर्देशित किया गया।

जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, सहारनपुर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी नकुड़ श्री राजेन्द्र प्रसाद वशिष्ठ के कुशल नेतृत्व में थाना नकुड़ पुलिस द्वारा ग्राम सढौली तालाब के पास से दिनांक 19.09.2022 को समय करीब 15.30 बजे अपने दादा पिरवा पुत्र हरिद्वारी की हत्या करने वाले हत्यारोपी पोते सोनू पुत्र चन्द्रपाल निवासी ग्राम सढौली थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशा:देही पर आलाकत्ल रस्सी एवं मृतक पिरवा का कुर्ता बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त सोनू उपरोक्त को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा।

#### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. सोनू पुत्र चन्द्रपाल निवासी ग्राम सढौली थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।

#### बरामदगी का विवरण:-

1. हत्या मे प्रयुक्त एक अदद रस्सी का टुकडा (लम्बाई करीब एक मीटर)
2. मृतक का कुर्ता

#### पूछताछ का विवरण:-

पूछताछ करने पर अभियुक्त सोनू ने अपने जुर्म का इकबाल करते हुए बताया कि मृतक पिरवा मेरे दादा थे जिन्होने मेरी बहन की शादी पूर्व में तय कर दी थी पर मै चाहता था कि शादी मेरे हिसाब से हो पैसा मुझे दिया जाये मैं अपने हिसाब से शादी में पैसा खर्च करना चाहता था लेकिन मेरे दादा पिरवा ने मेरी बात नही मानी जिस कारण मैंने उक्त घटना को अंजाम दिया।

#### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राजेन्द्र प्रसाद वशिष्ठ, थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री संजय राणा थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री उ0नि0 रविद्र कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
4. का0 49 राजीव थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
5. का0 2430 अजयपाल थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
6. का0 829 प्रदीप थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।

## प्रेस नोट दिनांक- 20.09.2022

### थाना चिलकाना, सहारनपुर पुलिस ने किया शादी का लड्डू खिलाकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, महिला सहित 01 अन्य अभियुक्त गिरफ्तार:-

अवगत कराना है कि दिनांक 19.09.2022 को वादी श्री प्रवीन सिंह पुत्र कंवरपाल निवासी पंचकुआ थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर द्वारा थाना चिलकाना पर एक प्रार्थना पत्र बाबत 1-कंवर सिंह पुत्र साधुराम, राजकुमार पुत्र सौरण सिंह निवासीगण ग्राम कुंजा बहादरपुर जनपद हरिद्वार(उत्तराखंड), 2-संजय पुत्र नामालूम निवासी अज्ञात, 3-नाजमा पत्नी अशफाक 4-अशफाक पुत्र शहीद निवासीगण ग्राम पदार्था थाना पथरी जिला हरिद्वार (उत्तराखंड) द्वारा आपस में षडयन्त्र कर फर्जी आधार कार्ड व फर्जी नाम पता व शादी का फर्जी प्रमाण पत्र तैयार कर व तीन लाख रुपये लेकर **गीता उर्फ सलौनी पुत्री बुलाकीराम निवासी मौ0 टांडा उज्जैन काशीपुर जिला उधमसिंह नगर (उत्तराखंड)** के साथ विवाह कराया था। जानकारी होने पर कानूनी कार्यावही करने पर झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर रूपयो की मांग की गयी थी। जिसके सम्बन्ध में थाना चिलकाना पर मु0अ0सं0 256/22 धारा 420,467,468,471,496,120बी,504,506 भादवि0 दिनांक 19.09.2022 को पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उक्त घटना का संज्ञान लेते हुए थाना प्रभारी चिलकाना को अभियुक्तगणों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया।

जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर, सहारनपुर श्री राजेश कुमार व क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष श्री सत्येन्द्र कुमार राय थाना चिलकाना के कुशल नेतृत्व में थाना चिलकाना पुलिस द्वारा अभि0 1.अशफाक पुत्र शहीद निवासी ग्राम पदार्था थाना पथरी जिला हरिद्वार को समय करीब 16.00 बजे आश्रम के पास पंचकुआ रोड से गिरफ्तार किया गया व 2.अभियुक्ता गीता उर्फ सलौनी पुत्री बुलाकीराम निवासी मौ0 टांडा उज्जैन काशीपुर जिला उधमसिंह नगर (उत्तराखंड) को भी अभियोग उपरोक्त में पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर दिनांक 20.09.2022 को समय 11.10 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। दौराने पूछताछ अभि0गण द्वारा अपने गिरोह के अन्य साथियों के साथ मिलकर जनता के भोले भाले लोगों को शादी का लालच देकर उनसे मोटी रकम ऐंठकर धोखाधड़ी कर फर्जी तरीके से शादी कराते हैं एवं कुछ दिन पश्चात लडकी से गलत आरोप लगवाकर ओर अधिक पैसे ऐंठते हैं। यह गिरोह प्रदेश एवं अन्य प्रदेशों में भी अनेको घटनाये कर चुके हैं। अभियुक्ता सलौनी उपरोक्त भी पूर्व में इस तरह की दो घटनाओ में शामिल होकर 1-सोनू निवासी राजा खेडी पानीपत हरियाणा से 80,000/- रुपये तथा 2-विनय निवासी हरथला मुरादाबाद से 60,000/- रुपये लेकर फर्जी शादी कर चुकी है। अभियुक्तगणों को समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

#### अभियुक्तगणों का नाम व पता:-

- 1-अशफाक पुत्र शहीद निवासी ग्राम पदार्था थाना पथरी जनपद हरिद्वार (उत्तराखंड)
- 2-गीता उर्फ सलौनी पुत्री बुलाकीराम निवासी मौ0 टांडा उज्जैन काशीपुर जिला उधमसिंह नगर (उत्तराखंड)

#### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1- थानाध्यक्ष श्री सत्येन्द्र कुमार राय थाना चिलकाना सहारनपुर
- 2- व0उ0नि0 रविन्द्र सिंह थाना चिलकाना सहारनपुर
- 3- उ0नि0 धीर सिंह थाना चिलकाना सहारनपुर
- 4- उ0नि0 अतुल कुमार थाना चिलकाना सहारनपुर
- 5- म0का0 460 सोनी यादव थाना चिलकाना सहारनपुर

## प्रेस नोट दिनांक 20/09/2022

### थाना जनकपुरी व आबकारी पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा फर्जी इनकम टैक्स ओफिसर बनकर ठगी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 02 मोबाइल फोन व फर्जी आईडी कार्ड बरामद:-

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा जनपद में अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे धरपकड़ अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक नगर, सहारनपुर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय, सहारनपुर के निर्देशन में दिनांक 19.09.2022 को थाना जनकपुरी पुलिस व आबकारी पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा जाल साजी कर अपने को इनकम टैक्स ज्वार्ट कमीशर बताकर ठगी करने वाले अभियुक्तगण 1-गगनदीप पुत्र अमनसिंह निवासी ग्राम बरसी थाना तितरो सहारनपुर, 2. सन्नी पुत्र विरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम काठा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत वर्तमान तैनाती आरक्षी जिला कारागार सहारनपुर को गिरफ्तार किया गया। अभि० गगनदीप द्वारा आबकारी अधिकारी श्री वरुण कुमार को अपनी पत्नी का जन्मदिन की पार्टी की बात बताकर दस पेटी रायल स्टैग शराब मंगायी गयी तथा और अच्छी शराब की मांग की गयी। दिनांक 19.09.2022 को गगनदीप अपने साथी सिपाही सन्नी को साथ लेकर किराये की गाडी इनोवा को लेकर जिला आबकारी कार्यालय सहारनपुर पहुँचा जहाँ आबकारी टीम व थाना जनकपुरी पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा फर्जी इनकम टैक्स ज्वार्ट कमीशर गगनदीप व सिपाही सन्नी को मौके से गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना जनकपुरी पर मु०अ०स० 193/22 धारा 170,386,467,468, 471,420,120(B) आई.पी.सी पंजीकृत किया गया। अभि०गणों को मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

#### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

- 1- गगनदीप पुत्र अमनसिंह निवासी ग्राम बरसी थाना तितरो जनपद सहारनपुर
- 2- सन्नी पुत्र विरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम काठा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत वर्तमान तैनाती आरक्षी जिला कारागार सहारनपुर

#### आपराधिक इतिहास अभि० गगनदीप

1. मु०अ०स० 100/22 धारा 406/420/506 भादवि थाना सदर बाजार सहारनपुर
2. मु०अ०स० 129/22 धारा 406/420 भादवि थाना नकुड जनपद सहारनपुर
3. मु०अ०स० 193/22 धारा 170,386,467,468, 471,420,120(B) आई.पी.सी थाना जनकपुरी सहारनपुर

#### बरामदगी का विवरण-

1. 02 अदद मोबाइल फोन सैमसंग कम्पनी
2. एक फर्जी आईडी कार्ड

#### पूछताछ का विवरण:-

अभि० गगनदीप द्वारा एक फर्जी आईडी कार्ड इनकम टैक्स ज्वार्ट कमीशर के पद का बनाया और उसपर अपनी फोटो लगाई उसके बाद उसके द्वारा जनपद सहारनपुर के अलग-अलग विभाग के अधिकारियों से अपने फोन नं० 9412511290 से फोन कर अपने आप को इनकम टैक्स ज्वार्ट कमीशर बताकर सम्पर्क करता था और उनको अपने पद का रोब दिखाकर उनसे अपने गलत काम कराता था तथा सन्नी सिपाही को अपने फोन से उसके मो०न० 9761665688 पर सम्पर्क कर उसको कभी वर्दी में कभी प्राइवेट में अपना रोब दिखाने के लिए गनर के रूप में किराये पर ली हुयी गाडियों में बैठाकर ले जाता था।

#### गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

- 1- श्री मनोज कुमार शर्मा , आबकारी निरीक्षक सैक्टर-1 सहारनपुर
- 2- श्री वरुण कुमार, जिला आबकारी अधिकारी सहारनपुर
- 3- श्री शोभित कुमार, आबकारी निरीक्षक रामपुर मनिहारन सहारनपुर
- 4- SI श्री सुरेश कुमार, थाना जनकपुरी सहारनपुर
- 5- HC 221 संजीव कुमार थाना जनकपुरी सहारनपुर
- 6- का० 507 सन्नी कुमार थाना जनकपुरी सहारनपुर
- 7- सिपाही मयंक, आबकारी जिला सहारनपुर
- 8- सिपाही हेमन्त, आबकारी जिला सहारनपुर

## प्रेस नोट दिनांक - 20/09/2022

### थाना मिर्जापुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा लम्बे समय से फरार चल रहे भूमाफिया हाजी

#### इकबाल उर्फ बाला के पुत्र अफजाल को किया गिरफ्तार:-

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा भूमाफिया के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, सहारनपुर व श्रीमान क्षेत्राधिकारी बेहट, सहारनपुर के निकट पर्यवेक्षण प्रभारी निरीक्षक हृदय नारायण सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 19.09.2022 को थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा वाँछित अभियुक्त **अफजाल पुत्र मौ0 इकबाल उर्फ बाला निवासी ग्राम मिर्जापुर पोल थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर** सम्बन्धित मु0अ0स0 224/22 धारा 395/323/504/506 भादवि0 में फरार चल रहा था जिसको मुखबिर की सूचना पर जिला कारागार सहारनपुर के गेट से समय करीब 20.35 बजे गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त माफिया किस्म का शातिर अपराधी है, जिसके विरुद्ध थाना मिर्जापुर पर करीब आधा दर्जन धोखाधड़ी/जालसाजी के अपराधिक मुकदमें दर्ज हैं। अभियुक्त को आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय सहारनपुर के समक्ष पेश किया जा रहा है।

#### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

1- अफजाल पुत्र मौ0 इकबाल उर्फ बाला निवासी ग्राम मिर्जापुर पोल थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर

#### अभियुक्त का अपराधिक इतिहास:-

- 1- मु0अ0स0 52/18 धारा 147/148/149/353/504/506/447 भादवि व 3(2)5 एससीएसटी एक्ट व 7 सीएल एक्ट थाना मिर्जापुर
- 2- मु0अ0सं0 83/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना मिर्जापुर
- 3- मु0अ0सं0 101/22 धारा 504/506 भादवि व 3(2)5क एससीएसटी एक्ट थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
- 4- मु0अ0स0-110/22 धारा 420/467/468/504/506/386 भादवि0 थाना मिर्जापुर
- 5- मु0अ0सं0127/22 धारा 420/467/468/471/342/386/504/506 भादवि थाना मिर्जापुर
- 6- मु0अ0स0 156/22 धारा 147/148/386/323/420/506/392 भादवि व 3(2)5 क एससी/एसटी थाना मिर्जापुर
- 7- मु0अ0स0 181/22धारा 420/467/468/471/406/120बी भादवि थाना मिर्जापुर
- 8- मु0अ0स0 195/22 धारा 376डी/506 भादवि थाना मिर्जापुर
- 9- मु0अ0स0 224/22 धारा 395/504/506/323 भादवि0

#### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1- प्र0नि0 एच.एन सिंह थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
- 2- निरी0 कृष्ण कुमार सिंह थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
- 3- का0 2104 नितिन कुमार थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर

## प्रेस नोट दिनांक 20/09/2022

### थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर पुलिस द्वारा एक अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से फर्जी नम्बर प्लेट लगी पल्सर मोटर साइकिल बरामद:-

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा चलाये गये संदिग्ध वाहन / फर्जी नम्बर प्लेट चैकिंग के अभियान के दौरान व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, सहारनपुर द्वारा निर्गत आदेशो निर्देशो के अनुपालन मे तथा क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष बीनू सिंह के नेत्रत्व मे थाना बिहारीगढ की पुलिस टीम द्वारा पेंचो रिसोर्ट के सामने चैकिंग के दौरान समय करीब 10.30 बजे प्रातः अभियुक्त रहमान पुत्र अल्ताफ उर्फ इल्ताफ निवासी किशनगढ कालोनी थाना बिहारीगढ सहारनपुर को फर्जी नम्बर प्लेट UK08Q-5986 लगी मो0स0 संदिग्ध चोरी पल्सर बरामद की गई हैं जिस सम्बन्ध मे मु0अ0स0 216/2022 धारा 420/414/482 भादावि पंजीकृत किया गया हैं।

#### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1.रहमान पुत्र अल्ताफ उर्फ इल्ताफ निवासी किशनगढ कालोनी थाना बिहारीगढ सहारनपुर।

#### आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0स0 11/22 धारा 60(1) आबकारी अदि0 थाना फतेहरपुर जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0स0 553/2020 धारा 8/20 नारकोटिक एक्ट थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0स0 554/2020 धारा 414 भादावि थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
4. मु0अ0स0 58/2022 धारा 4/25 आर्म्स अदि0 थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
5. मु0अ0स0 216/2022 धारा 420/414/482 भादावि थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर

#### बरामदगी:-

1.फर्जी नम्बर प्लेट UK08Q-5986 लगी मो0स0 पल्सर

#### गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. थानाध्यक्ष श्री बीनू सिंह थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री योगेन्द्र चौधरी थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री सुबोध कुमार थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
4. है0का0 294 राशिद थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
5. का02226 अमित थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर

## प्रेस नोट दिनांक-20.09.2022

### थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार,

### कब्जे से एक नाजायज छुरा बरामद:-

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के आदेश के अनुक्रम में पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध चलाये गये अभियान के अन्तर्गत थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर पुलिस द्वारा आज दिनांक 20.09.22 को अभि० मुस्तकीम पुत्र बाबू निवासी कमेला कॉलोनी निकट कुरैशीयान मस्जिद थाना मंडी सहारनपुर को दवनी कब्रिस्तान मुख्य द्वार के सामने से समय करीब 11.00 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त मुस्तकीम उपरोक्त के पास से एक अदद छुरा नाजायज बरामद की गयी। अभि० मुस्तकीम उपरोक्त के विरुद्ध थाना कुतुबशेर पर मु०अ०स० 354/22 धारा 4/25 आर्मस एक्ट पंजीकृत किया गया है। अभि० मुस्तकीम उपरोक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

### नाम/पता गिरफ्तार अभियुक्त-

मुस्तकीम पुत्र बाबू निवासी कमेला कॉलोनी निकट कुरैशीयान मस्जिद थाना मंडी सहारनपुर।

### बरामदगी का विवरण:

एक अदद छुरा नाजायज

### अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु०अ०सं० 354/22 धारा 4/25 आर्मस एक्ट
2. मु०अ०सं० 154/20 धारा 398/401 आईपीसी

### गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सुबे सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. उ०नि० श्री राहुल कुमार शर्मा थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. का० 1326 कपिल कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
4. का० 1422 विकास कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

